# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 590 / 2025

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
| --- | --- | --- |
| 1 अनुकंवर पत्नी दुर्जनसिंह जाति राजपुरोहित निवारी मुरटालागाला, महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर<br>2. खानुसिंह पुत्र नगसिंह जाति राजपूत निवारी महाबार, तहसील व जिला बाडद्मेर | | 1 तहसीलदार बाड़मेर। |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.**

उपस्थिति :–

1. श्री धर्मसिंह भाटी, वकील प्रार्थी पक्ष।
2. पैरोकार सरकार

## आदेश

दिनांक 29/08/2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा मंगलनगर, पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 2458 / 398 रकबा 1.6187 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2457 / 398 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खरीदशुदा एंव कब्जे काश्त की भूमि हैं जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त हैं। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी मूल खातेदारों से प्रतिफल अदा कर खरीदी थी एंव बाद खरीद अपना नाम राजस्व रेकर्ड में बतोर खातेदार दर्ज करवाते हुए अपना कब्जा एंव स्वामित्व स्थापित किया जो क्रमोन्तर कब्जा काश्त आदिनांक तक चला आ रहा हैं। उक्त आराजी के सेढे पर पूर्व में मूल खातेदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 32 स्वीकृत दिनांक 20.07.2017 के जरिये खसरा संख्या 2465 / 398 रकबा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 2466 / 398 रकबा 09 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में तहसीलदार बाड़मेंर द्वारा समर्पण की कार्यवाही कर प्रार्थीगण द्वारा चिन्हित लाल रंग से दर्शायी हुई भूमि को सरकार के समक्ष समर्पण कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया था तथा इसी हल्का पटवारी ने तरमीम की थी। इसी अनुसार मौके पर पूर्व में ग्रेवल सड़क थी किन्तु बाद में ग्रेवल सड़क पर पक्की डामर सड़क बना दी गई जो महाबार से बक्शे का तला जाने वाली मुख्य डामर सड़क से रावताणी भीलो की ढाणी, के पास से प्रार्थीगण के खेत के दक्षिण सेढे से होकर गुजरती है जो आगे करणपुरा, वांकलपुरा तक जाती हैं। वर्तमान में प्रार्थीगण ,द्वारा हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त करने पर राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। जिस पर जानकारी में आया कि प्रार्थीगण एंव पूर्व मूल खातेदारान द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के दक्षिणी सेढे पर रास्ते का समर्पण करवाते हुए रास्ते का कटाण करवाते हुए तरमीम करवाई थी एंव बाद में डामर सड़क का निर्माण भी कर दिया। किन्तु हल्का पटवारी एंव राजस्व अधिकारियों ने रिकार्ड ऑनलाईन करते समय गलती से प्रार्थीगण के खातेदारी के दक्षिणी और चल रही सड़क की कटाण भूमि का गलत रूप से अंकन उतरी सेढे पर कर दिया। राजस्व नियमानुसार हल्का पटवारी को राजस्व नक्शे के संधारण के दौरान तहसीलदार द्वारा जारी समर्पण आदेश के अनुसार भरे गये नामान्तरणकरण संख्या 32 के अनुसार [illegible] प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा मंगलनगर, पटवार हल्का म[illegible]ील व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 2458 / 398 रकबा 1.6187 हैक्टेयर व [illegible] संख्या 2457 / 398 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि में के सबंध में राजस्व रेकर्ड में [illegible] गलत तरमीम को निरस्त कर प्रार्थी के मौके पर कब्जे–काश्त अनुसार तरमीम [illegible] करवाने का आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बाडमेर [illegible] तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:08 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक राजस्व / 2025 / 1509 दिनांक 11.06.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा मंगलनगर, पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 2458 / 398 रकबा 1.6187 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2457 / 398 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि के मौके व रेकर्ड पर अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त भूमि के उतरी सेढे पर समर्पण भूमि(रास्ता) खसरा संख्या 2465 / 398 तथा

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

2466/398 की तरमीम परिशिष्ट "अ" के अनुसार की हुई लेकिन मौके पर खसरा संख्या 2457/398 व खसरा संख्या 2458/398 के दक्षिणी सेढे पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है जो परिशिष्ट "ब" अनुसार हैं पुराना लटठा ट्रेस फटा हुआ है लेकिन पूर्व में हल्का पटवार महाबार द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 02.01.2020 अनुसार भी तरमीम परिशिष्ट "ब" अनुसार हैं। मौके पर समर्पण भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा हैं तथा डामर सड़क बनी हुई है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाड़मेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार मौजा मंगलनगर, पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 2458/398 रकबा 1.6187 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2457/398 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि के दक्षिणी सेढे पर समर्पण रास्ता की तरमीम तहसीलदार बाड़मेंर से प्राप्त रिपोर्ट में संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2074–2077 व जमाबंदी संवत 2070–2073 का अवलोकन किया गया तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादग्रस्त उक्त भूमि के उतरी सेढे पर समर्पण भूमि(रास्ता) खसरा संख्या 2465/398 तथा 2466/398 की तरमीम परिशिष्ट "अ" के अनुसार की हुई लेकिन मौके पर खसरा संख्या 2457/398 व खसरा संख्या 2458/398 के दक्षिणी सेढे पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है जो परिशिष्ट "ब" अनुसार हैं पुराना लटठा ट्रेस फटा हुआ है लेकिन पूर्व में हल्का पटवार महाबार द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 02.01.2020 अनुसार भी तरमीम परिशिष्ट "ब" अनुसार हैं। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा मंगलनगर, पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 2458/398 रकबा 1.6187 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2457/398 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए मौजा मंगलनगर, पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 2458/398 रकबा 1.6187 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2457/398 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि की अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभि[illegible] करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट ''ब'' आदेश का अभिन्न अंग [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:08 IST
Reason: SelfAttested

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 29/08/2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर